



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद./APO/2018/पार्ट-4/566 जयपुर दिनांक 28/5/2020

-:आदेश :-

सुश्री नीरज शर्मा, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली जिला करौली को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया जाता है।

सुश्री शर्मा अविलम्ब प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगी अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(डॉ. प्रेम सिंह चारण) 28/5/2020

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
- 6 संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
- 7 जिला कलक्टर, करौली।
- 8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली।
- 9 अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली।
- 10 विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली जिला करौली।
- 11 संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
- 12 ए.सी.ओ. मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 13 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)